.राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–II) पेंशन/सा.न्या.अ.वि./2014–15/15172 जयपुर दिनांक 28/2/19

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 अध्याय 1 के नियम 2 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

नियम–2 (iv) – पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है–

वृद्धावस्था पेंशन –

1.	75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को	रू. 750/– प्रति माह
2.	75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को	रू. 1000/– प्रति माह

विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनः–

1.	18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू. 500/– प्रति माह
2.	55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू. 750/– प्रति माह
3.	60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू. 1000/– प्रति माह
4.	75 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू. 1500/– प्रति माह

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप. 101900705 दिनांक 22.02.2019 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किए जाते हैं।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांकः– एफ 9(05)(12–II) पेंशन/सा.न्या.अ.वि./2014–15/15174–668 जयपुर दिनांक 28/2/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण एवं पंचायत राज. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग; राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2)/उपशासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेश (पेंशन एवं पन्नाधाय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक आई.एफ.एम निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।
19. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
20. समस्त उपखण्ड अधिकारी/समस्त विकास अधिकारी।
21. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

28/2/19

आयुक्त

Scanned by CamScanner